न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 सरकार बनाम जयनारायण पुत्र पूरणमल जाति गुर्जर पांचूदेवी पत्नि जयनारायण गुर्जर सा. राणासर तह. कुचामनसिटी

प्रार्थना–पत्र नम्बर 242/2020 **RCMS No.2020/00363**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
20-06-2023	पत्रावली अप्रार्थी के निवेदन पर आज नम्बर पर ली गई। प्रार्थना–पत्र का सार संक्षेप मे इस प्रकार से है कि तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा राजस्व वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत अप्रार्थी जयनारायण पुत्र पूरणमल गुर्जर राणासर वगैरह के विरूद्व इस न्यायालय में प्रस्तुत किया, ग्राम राणासर के खसरा नम्बर 952/259 रकबा 0.21 हैक्टर बारानी द्वितीय को अप्रार्थीगण ने बिना विहित प्राधिकारी की अनुमति के कृषि भूमि को अकृषि उपयोग कर लिया है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लघंन है, इसलिए अप्रार्थी के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर उसे पाबंद फरमाया जावे। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण के विरूद्व दिनॉक 06.10.2020 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई, अप्रार्थी जयनारायण की ओर से श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता उपस्थित आये । जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होकर शामिल मिसल उपलब्ध है, अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है उन्होने उपरोक्त भूमि में जीवन यापन करने हेतु चाय का ढाबा कर रखा है, जिसकी आमदनी से परिवार का जीवन यापन करते आ रहे है, इसके अलावा हम अप्रार्थीगण का अन्य कोई आय का स्त्रोत नही है, उक्त खसरा की भूमि का भू–रूपान्तरण शीघ्र ही करवाया जावेगा, परन्तु माननीय न्यायालय का स्थगन होने के कारण रूपान्तरण की कार्यवाही सम्भव नही है, अतः उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र को खारिज फरमाया जावें। जिससे रूपान्तरण की कार्यवाही अमल में लाई जा सके। प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी ने प्रस्तुत जवाब में उल्लेखित तथ्यों को दोहराया है तथा अप्रार्थी ने कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम राणासर के खसरा नम्बर 952/259 रकबा 0.21 हैक्टर भूमि में केवल मात्र चाय का ढ़ाबा बनाकर अपनी आजिविका चलाई जा रही है, अप्रार्थी शीघ्र ही सक्षम प्राधिकृत अधिकारी से संपरविर्तन करवांने के लिए तैयार है, परन्तु माननीय न्यायायलय से अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से रूपान्तरण का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने में कठिनाई आ रही है। अतः अप्रार्थी के जवाब में उल्लेखित तथ्यों पर विश्वास करते हुए इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा 06.10.2020 एवं प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.27 13:10:41 IST
Reason: SelfAttested